



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-12092025-266119
CG-TL-E-12092025-266119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4033]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947

No. 4033]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 10 सितम्बर, 2025

का.आ. 4148(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा, “नेरेडमेट – मौला अली रेलवे स्टेशनों के बीच कि.मी. 16/2-3 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या BP-10 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के मेडचल-मलकाजगिरी ज़िला में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. CW.Dy.CE/GS/SC/RUB/BP-10/37A]
सुधीर कुमार शर्मा, मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशक्ति)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 10th September, 2025

S.O. 4148(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Construction of Road Under Bridge in lieu of Level Crossing No. BP-10 at KM 16/2-3 between Neredmet – MoulaAli Railway stations" as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Medchal-Malkajgiri for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CW.Dy.CE/GS/SC/RUB/BP-10/37A]

SUDHIR KUMAR SHARMA, Chief Project Manager/Gatishakti